

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2014/झालावाड़ रोडस/एफसीए/प्रमुखसं/ 8228

दिनांक 04-12-2023

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Construction of Road NH-12 to Rojya Santioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar. (Proposal no. FP/RJ/ROAD/7595/2014)

संदर्भ:-राजस्थान सरकार वन विभाग का पत्रांक प. 1 (51) वन/2015 दि. 18.03.2015

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक, कोटा के पत्रांक 5422 दिनांक 03.11.2023 से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के निही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

...P.T.O.

7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुन्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	100 वृक्षों के वृक्षारोपण की वर्तमान श्रमिक दरों पर राशि 212277 /- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।																									
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) 1698220 /- जमा करा दी गयी है।																									
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3 / 2007 -एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि वर्तमान दरों पर आवश्यक धन राशि 315191 /- जमा करा दी गई है।																									
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निम्नांकित राशि जमा करायी गयी है। <table><tr><th>Head</th><th>Total demand</th><th>deosited amount</th><th>Balance</th><th>Remar k</th></tr><tr><td>planting of 100 plants</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr><tr><td>Planting of vacated land</td><td>9561716</td><td>7883496</td><td>1698220</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr><tr><td>NPV</td><td>909891</td><td>594700</td><td>315191</td><td>26.4.17</td></tr><tr><td>Total</td><td>11666820</td><td>9441132</td><td>2225688</td><td></td></tr></table> राशि 2225888 /-का समायोजन एप्रोच रोड सावल्दा के प्रकरण निरस्त हो जाने के कारण उसमें जमा राशि में से किया गया है प्रति संलग्न है।	Head	Total demand	deosited amount	Balance	Remar k	planting of 100 plants	1195213	982936	212277	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19	Planting of vacated land	9561716	7883496	1698220	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19	NPV	909891	594700	315191	26.4.17	Total	11666820	9441132	2225688	
Head	Total demand	deosited amount	Balance	Remar k																							
planting of 100 plants	1195213	982936	212277	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19																							
Planting of vacated land	9561716	7883496	1698220	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19																							
NPV	909891	594700	315191	26.4.17																							
Total	11666820	9441132	2225688																								

11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।																									
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी। एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।																									
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05. 02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	<table><tr><th>Head</th><th>Total demand</th><th>deosited amount</th><th>Balance</th><th>Remark</th></tr><tr><td>planting of 100 plants</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr><tr><td>Planting of vacated land</td><td>9561716</td><td>7883496</td><td>1698220</td><td>26.4.17 1.11.18 & 27.6.19</td></tr><tr><td>NPV</td><td>909891</td><td>594700</td><td>315191</td><td>26.4.17</td></tr><tr><td>Total</td><td>11666820</td><td>9441132</td><td>2225888</td><td></td></tr></table> राशि 2225888/-का समायोजन एप्रोच रोड सावल्दा के प्रकरण निरस्त हो जाने के कारण उसमें जमा राशि में से किया गया है प्रति संलग्न है। जमा राशि का विवरण संलग्न है।	Head	Total demand	deosited amount	Balance	Remark	planting of 100 plants	1195213	982936	212277	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19	Planting of vacated land	9561716	7883496	1698220	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19	NPV	909891	594700	315191	26.4.17	Total	11666820	9441132	2225888	
Head	Total demand	deosited amount	Balance	Remark																							
planting of 100 plants	1195213	982936	212277	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19																							
Planting of vacated land	9561716	7883496	1698220	26.4.17 1.11.18 & 27.6.19																							
NPV	909891	594700	315191	26.4.17																							
Total	11666820	9441132	2225888																								
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	अनुपालना की जावेगी।																									

15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किये जाने की अनुपालना की जावेगी।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीया,

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14()2014/झालावाड़ रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा, झालावाड़।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14()2014/झालावाड़ रोड/एफसीए/प्रमुखसं/ 7195 दिनांक 18.08.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एग्रोच रोड सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री चेतन कुमार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशापी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशापी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एग्रोच रोड सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशापी अभियंता, अकलेरा, झालावाड़ के निवेदन पर प्रस्तावित सड़क आवश्यक नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर एंजेन्सी द्वारा जमा की गयी राशि 12310000+387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियंता अकलेरा द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से कुल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जो निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitted date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanwalda	Road	0.996	29.10.2014	cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार अपने अन्य विचाराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क्र०सं० 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक से जमा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड़ जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नहीं होने की वचनबद्धता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810000.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792000.00
		Total	4603261.00	4602000.00

उक्त प्रकरणों में क्र०सं 1 पर राशि 849.00 एवं क्र०सं० 2 पर राशि 412.00 पृथक से जमा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये हैं।

सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014/झालावाड़ रोड़/एफसीए/प्रमुखसं/ 7196-7201 दिनांक 18-08-2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

- उप वन संरक्षक, झालावाड़।
- अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- अधिशायी अभियंता, खण्ड अकलेरा/चौमहला/खानपुर झालावाड़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतान राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoua Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

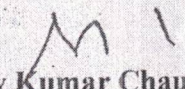
S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743	15085611 3599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

NPV 18700/
CA-609793/

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
राजस्थान, जयपुर

Encl: as above

Yours faithfully,


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

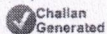
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;



: This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.



: This icon shows that the challan has been generated.



: This icon shows that the payment yet to be made.



: This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :	Jaipur	Select State :	Rajasthan
Select User Agency :	Select		
Payment Status :	☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All		
Bank Name :	--Select All--	Mode of Payment :	--Select All--
Transaction Date (From) :		Transaction Date (To) :	
Enter value for Search :	7595		
SEARCH			



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/RJ/ROAD/7595/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7595/2014) NH-12 to Rojya	ROAD75952014873	18 Mar 2015	CA: 387639/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 0/- Total : 387639/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated : 25 Oct 2018 On Transaction Date : 01 Nov 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/9111212812183X0QTRojyascan0001.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD75952014873)
2	FP/RJ/ROAD/7595/2014 (../viewreport.aspx?pid=FP/RJ/ROAD/7595/2014) NH-12 to Rojya	ROAD75952014334	18 Mar 2015	CA: 0/-, Addl CA : 0/- PCA: 0/-, CAT : 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA : 0/- NPV: 576000/-, and 10 year 872000/- maintenance Plantation of 100 trees Plantation of both side of proposed road and 10 ye : 6977000/- Total : 8425000/-	☒ Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Bank (Challan) Challan Generated : 27 Mar 2017 On Transaction Date : 26 Apr 2017	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112712501210C3EIXROAJYA.pdf) Generated Challan (../UserAccount/GenerateChallan.aspx?pid=ROAD75952014334)



SWACHH BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)



(HTTPS://DATA.GOV.IN/)

Thematic portal of India

india.gov.in

(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

Open Government Data (OGD) Platform India



MeitY (HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/5422
निमित्त,

दिनांक : 8.11.2023

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विशय: Construction of NH-12 to Rojya sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar. (Online Proposal No.: FP/RJ/ROAD/7595/2014)

प्रसंग: उप वन संरक्षक झालावाड़ का पत्रांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/11152 दिनांक 31.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प.1(51)वन/2015 जयपुर दिनांक 18.03.2015 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट तैयार कर उप वन संरक्षक झालावाड़ ने प्रासंगिक पत्र से इस कार्यालय में प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	बिन्दुवार भारती का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	हां, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जावेगी।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।

Signature valid

RajKaj Ref
4975020



Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.11.03 11:31:21 IST
Reason: Approved

9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।																																			
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) 'ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।																																			
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आ आ का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगे कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।																																			
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग मे किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण मे बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध मे प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।																																			
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी. वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 2225688/- रु सम्पर्क सड़क सांवल्दा की जमा राशि रु 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/9272 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है। <table><tr><th>सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या</th><th>मद</th><th>रोपित पौधों की संख्या/ क्षेत्रफल</th><th>मांग राशि श्रमिक दर 213/-</th><th>मांग राशि श्रमिक दर 259/-</th><th>पूर्व में जमा राशि</th><th>देय राशि</th></tr><tr><td>1</td><td>100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td><td>100 वृक्ष</td><td>982936</td><td>1195213</td><td>982936</td><td>212277</td></tr><tr><td>2</td><td>प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव</td><td>800 वृक्ष</td><td>7863496</td><td>9561716</td><td>7863496</td><td>1698220</td></tr><tr><td>3</td><td>एन.पी.वी. राशि</td><td>0.95 है0 957780 /-</td><td>594700</td><td>909891</td><td>594700</td><td>315191</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>9441132</td><td>11666820</td><td>9441132</td><td>2225688</td></tr></table>	सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	रोपित पौधों की संख्या/ क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	देय राशि	1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277	2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	800 वृक्ष	7863496	9561716	7863496	1698220	3	एन.पी.वी. राशि	0.95 है0 957780 /-	594700	909891	594700	315191	योग			9441132	11666820	9441132	2225688
सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त संख्या	मद	रोपित पौधों की संख्या/ क्षेत्रफल	मांग राशि श्रमिक दर 213/-	मांग राशि श्रमिक दर 259/-	पूर्व में जमा राशि	देय राशि																															
1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982936	1195213	982936	212277																															
2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड़ स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव	800 वृक्ष	7863496	9561716	7863496	1698220																															
3	एन.पी.वी. राशि	0.95 है0 957780 /-	594700	909891	594700	315191																															
योग			9441132	11666820	9441132	2225688																															
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारिख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																																			
15.	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।																																			

Signature valid

RajKaj Ref Digitally signed by Mahesh Chandra

RajKaj Ref
4975020

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.11.03 14:31:21 IST
Reason: Approved

16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है।
----	--	---

भवदीय

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2023/5423

दिनांक : 3.11.2023

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक झालावाड़ को उनके पत्र 11142 दिनांक 30.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid

RajKaj Ref
4975020

Digitally signed by Mahesh Chand
Gupta
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.11.03 17:31:21 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax No. 07432-232230 E-mail-dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2022-23/ 11152

दिनांक: 31-10-23

निमित्त :-

समागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP

(Phase II) IN Dist. Jhalawar. Proposal no. FP/RJ/ROAD/7795/2014

प्रसंग:-अधिशायी अभियंता सा.नि.वी. खण्ड अकलेरा का पत्रांक 649 दिनांक 05.09.2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण की सैधातिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक पत्रांक प. 1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्रदान की गई थी। प्रासंगिक पत्र की पालना में प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है-

क्र. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।

	वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेड के स्थानों पर यथावित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जावेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पीछोरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राप्तीकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कापरिशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी आवश्यक धन राशि जमा करा दी गई है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती हों जी है जो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जावेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जावेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां	अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं लोडल अधिकारी एफसीए, राज. जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.2023 को उक्त कार्य हेतु राशि 2225688/- रु सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड पत्र क्रमांक एफ()एफसीए/उवसं/2023/927 दिनांक 07.08.2023 के डिमाण्ड नोट के अनुसार समायोजन की अनुशंसा की है।
		सहायक मद रोपित पीछो मांग मांग राशि पूर्व में शुद्ध देय

निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्पलेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	स्वीकृति राशि संख्या		की संख्या/ क्षेत्रफल	राशि अग्रिम दर 213/-	अग्रिम दर 259/-	जमा राशि	राशि
	1	100 वृक्षों का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 वृक्ष	982938	1195213	982938	212277
	2	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेट स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	800 वृक्ष	7863496	9561716	7863496	1698220
	3	एन.पी.वी. राशि	0.95 हेक्टर 957780/-	594700	909891	594700	315191
	योग				9441132	11666820	9441132

14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

उच्च कार्यालय से संबंधित है।

15. राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।

उच्च कार्यालय से संबंधित है।

16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बौडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जी हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. चेतन कुमार)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 31-10-23

क्रमांक एक () एफसीए/उवसं/2022-23/ 11153
प्रतिलिपि :- अधिशाही अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की
अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया
जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० आ० 15294

(वी. चतुर्वर्ती)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की
अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त
अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294


(वी. चेतन कुमार IPS)
उप वन सहायक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की
अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से
अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

(खेमचन्द मीश्र)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

(वी. चन्द्रावरुण IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

Neu

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में
प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर
एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

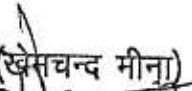
दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000 रुपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।


(वी. धीरज कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता
अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10
वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संशोधित)
69,77,000 /— रुपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Ne
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :— Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारामाननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 5,76,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294


(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सां.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajsthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 मे जमा कराया जायेगा।

उक्त राशि का विवरण -

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव | - 8,72,000 /- रुपये दिनांक 26.04.2017 |
| 2.मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण | -69,77,000 /- रुपये दिनांक 26.04.2017 |
| 3. एन.पी.वी. की राशि | - 5,76,000 /- रुपये दिनांक 26.04.2017 |
| 4. सी.ए. की राशि | -3,87,639 /- रुपये दिनांक 01.11.2018 |
| 5. सी.ए.की राशि | - 6,28,493 /- रुपये दिनांक 27.06.2019 |


(डी. रमेश कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सां.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 11 की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

(खेमचन्द मीनम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
दो 310 ओ 15294

(वी. घेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पिन कोड 331 001 15294

10/11/2014
(श्री. धीरज कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।


(वी. वी. कुमार IFS)
वन संरक्षक
झालावाड़


(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
Distt. Jhalawar 321015294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Ne
(वी. रीतज कुमार एस)
उप वन विभागाध्यक्ष
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 16 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी हैं एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया हैं।

Ne
(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा
डि० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

क्रमांक:-100

दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंरक्षक
झालावाड़ जिला झालावाड़ राज0

विषय:- सम्पर्क सडक एन-52 से रोज्या अन्डर RRSMP (Phase-II) in Distt.
झालावाड़ ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 628493.00 रु केम्पा
फण्ड में E-चालान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है चालान की प्रति एंव टैजरी के दिल की
प्रति सलंगन कर भिजवायी जा रही है ।

भवदीय
(एल.बी.मण्डे)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

कमर्शियल एफ () एफसीए / उचस / 2019-20 /
दिनांक: 18.03.2015

समाग्रीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP
(Phase II) IN Dist. Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7595/2014 की सैद्धान्तिक स्वीकृति
पत्रांक प. 1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के कम में विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Construction of Road NH-12 to Rojya Sentioned under RRSMP (Phase II) IN Dist. Jhalawar. में 0.994 हेक्टेयर हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति की विन्यूवार सुरक्षा पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है-

क्र. सं.	विन्यूवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हां, जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हां जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3.	प्रस्तावनुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	हां, जी परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगें।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के निही काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगें। प्रयोक्ता एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न है।

Contd-2

1299FCA letter

	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी।	हां, जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आसपास में वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी की अप्पंडर टेकिंग संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का 10 गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर स्थित पेड़ के स्थानों पर यथाचित वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	हां, जी आवश्यक धन राशि 7863496 रु. जमा करा दी गई है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जायेगी।	हां, जी कुल राशि रु 9441132 जमा करा दी गयी है। जिसमें राशि रु 594700 एनपीवी के सम्मिलित है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	हां, जी कुल राशि रु 9441132/- जमा करा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रु 982936 सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है जी है जो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	हां, जी वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शून्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक	अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988695 जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रु. 2. मार्ग के तीनों तरफ वृक्षारोपण 7863496 /- रु. 3. एन.पी.वी - 594700 /- है।

h

	स्वीकृति की अनुपालना आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनपीवी क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया है।)	
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
16	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जी हां, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जावेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- 1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र।
3. समाचार पत्र की प्रति।

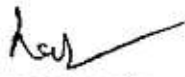
भवदीय

(नन्दलाल प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2019-20/9131

दिनांक: 10-6-19

प्रतिलिपि :- अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 106 दिनांक 28.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।


उप वन संरक्षक
झालावाड़

१८

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक : 28-5-19

उप वन संरक्षक / 06
झालावाड़

विषय:- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under
RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/2995/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन
संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (51) वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 से रोज्या अण्डर आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हैक्ट हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
2.	प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रयावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जावेगा। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
4.	यावक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
5.	प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
6.	प्रयावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रयावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति हानि पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की रहेगी। अण्डर टैकिंग सलंगन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों की राश प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है। अण्डर टैकिंग सलंगन है।

①-29001
29-5-19

8.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दीर्घ और स्थित पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान धरो को समाहित करते हुए यथासंश) जमा की जायेगी।	हो जी, आवश्यक समस्त जमा करा दी गयी है। करार टैकिंग सलेशन है।
9.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	हो जी, राशि रु. 9441132/- कराई जमा कराई है।
10.	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्रॉक-11 गूगल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जायेगा।	हो जी, राशि रु. 9441132/- कराई जमा कराई है। जिसमें सी.ए की राशि रु. 9441132/- कराई सम्मिलित है।
11.	प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सहाय स्तर से यदि एन.पी.वी. की वरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	हो जी, वचनबद्धता का प्रमाण पत्र सलेशन कर दिया गया है।
12.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	सड़क निर्माण में निकलने वाले मक उपयोग शुद्ध निर्माण की फिलिंग में किया जायेगा। वन क्षेत्र में निष्काशन नहीं किया जायेगा। तथा प्रत्यावर्तित वन भूमि में मक निर्माण में बहार से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी जिससे मक निस्कारण की शुरुय होगी। इस मक में प्रमाण पत्र सलेशन कर दिया है।
13.	प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्रॉक-11 गूगल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	अधिकरण द्वारा धन राशि 9441132/- कराई राशि वालान से जमा करा दी गयी है। इसका प्रमाण है कुल 9441132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है 1. 100 कृती का रोपण एवं रखरखाव - 9441132/- 2. मार्ग के तीनों तक वृक्षारोपण - 1000000/- 3. एन.पी.वी. - 9441132/- इसका प्रमाण सलेशन है।
14.	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय धीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को सूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बौडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जाएगी।	हाँ जी, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को युनैस्को द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित कराया दी जावेगी। जो कि दिनांक 25.12.2018 को कराया दी गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति सलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 सलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के बालान की छायाप्रति
 2. वचन बद्धता प्रमाण पत्र
 3. मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

(एल. सी. खन्ना)
 अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

कम्पाक
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।
 दिनांक:
 1. श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
 2. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. वृत्त झालावाड
 3. श्रीमान् सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मंगोहरथाना

अधिशासी अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Reference No :24388914

NH12 से 20-05

Government Of Rajasthan
WAM Inner/Outer sheet

Detailed Wam bill of : EX eng pvd Div-Aklara(15294)

Month/Year : May/2019

Bill For Works Payment : WAM Payment

Office ID : 15294

Division Name : EX EN PWD AKLERA

Reference No : 1752873

Wam Reference No : #1/1 of 10

Date : 24/05/2019

Division Code : 103

B# No : 10071

TAN : JOHE00424E

Demand No : 21

DDO Code : 15294

SF : 628493.00

Object Head : 21

Budget Head : 3054-04-500-02-01/SF/1

NonPlan : 0.00

NA : 0.00

To : The Treasury/Sub Treasury Officer AKLERA

Please Order to pay ₹ 628493 as per the claim contained in this bill

Sign of Clerk

Sign of DA

Sign of DDO with Seal

I certified that I have personally examined and satisfied myself about the guinness of claim that the claimed bill is strictly in accordance with rules and that the said parties/firm details mentioned in wam bills are correct and said parties/firm are entitled for such payment and this draft is with the bill of the same allotted budget/LC.

I certified that the compliance of directions/instructions of PWF & AR has been ensured for this bill.

Sign of DDO with Seal

Sr.No	Name Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name	Invoice No. Invoice Date(In Case Of Supplier)	Gross Amt Net Amt	Budget Head Deduction Amt
1	CORPORATION BANK LODHI COMPLEX BRANCH BLOCK 11 CGO COMPLEX PHASE I LODHI ROAD NEW DELHI 110003 9460522074	CORPORATION BANK 150856113599281 CORP0000371 Lodhi Road, New Delhi	1/1/1800 12:00:00 AM	628493.00 628493.00	1752873

Gross Amount Rs. 628493.00

B.T.Amount: Rs.

Net Amount Rs. 628493.00

Amount In Words : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE Only

For Accountant General Office

Sign of DDO with Seal

Admitted ₹
Objected ₹

No: 628493.00
Pay ₹ : 628493.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY
B.T. Heads :
Head : Amount
Total
(In Cash) ₹ : 628493.00
(In Words) : SIX LAKH TWENTY EIGHT THOUSAND FOUR HUNDRED NINETY THREE ONLY

Auditor

Supdt

Gaz Officer

Auditor

AAO-III

Treasury/Sub Treasury Officer

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/she is solely responsible for it.
SW Courtesy National Informatics Centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.raj.nic.in) Group Name 3054 VRForward Time 24/05/2019 12:34 PM
Print Date & Time 24/05/2019 12:33 PM

NH-12 ले रोज्या

Form RPWA 28

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Bill No. & Date

Reference No.

BillRef No. 10071, Dated: 24/05/2019

Division Name: EX.eng pwd Div-Aklara, Division Code 15294

Sub Division Code:

HAND RECEIPT HR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special from 24 and 26 are suitable)

Work: NH-12 to Rojya

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/BillNo. Dated:

Budget Head: 3054-04-800-02-01-21-V-P

Reason:

Bank Details: AccountNo.- 150856113599281, IFSC Code: CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only

Deductions/Recoveries:

SNo.	Head Code	Head Detail	Amount
Net Amount Payable in Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only			

Received fromsum of Rs.....(Rupees.....) on account of (Work Name)...../purpose

Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.

Dated:

For use in Divisional Office

Signature of DA with seal

अभिषेक जी. डी. सी. (DA) with seal
सा. नि. वि. खण्ड अकलेरा
डी. डी. ओ. 15294

5/24/2019

NEFT/RTGS CHALLAN

NH 2 H 2121

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-05-2019	
Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6175950315
MoEF/SG File No.	1(51)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	628493/-
Amount in Words: Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees. Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856175950315 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 24-05-2019	
Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6175950315
MoEF/SG File No.	1(51)FOREST/2015
Location.	RAJASTHAN
Address:	PWD Div. Aklera Jhalawar
Amount(in Rs)	628493/-
Amount in Words: Six Lakh Twenty-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Three Rupees. Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856175950315 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only - This challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print

Back

24/5/2019
अधिकारी का हस्ताक्षर
सा. नि. नि. प्र. ३-३०००४
हस्ताक्षर ति. १०/०५/१९

वन विभाग की स्वीकृति स्वीकृति की बातें

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प. 1(51) वन/2015

जयपुर दिनांक 18.03.2015

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFP)

जयपुर

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSM (Phase II) in Distt. Jhalawar.

संदर्भ :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयवर्तित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन, जयपुर के प्रस्ताव पर ध्यातपूर्वक विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार केन्द्र सरकार के पत्र संख्या एक, नं. 11-9/98- एकसी दिनांक 03.01.2005, 13.02.2014 व भारत सरकार सेवीय कार्यालय के पत्र संख्या 736 दिनांक 10.09.2014 से वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति मान्य जारी दिनांक निम्नो की पालन करते हुए Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSM (Phase II) in Distt. Jhalawar. में 0.95 हेक्टेयर हेतु वनभूमि के प्रत्यवर्तन की सख्तीय स्वीकृति निम्न बातों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।
3. प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पालन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जाएगा।
4. बाक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र को वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं वन के संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जाएंगे।
5. प्रस्तावित क्षेत्र में उपरि उक्त क्षेत्रों को वन विभाग के बिना पुनर्निर्माण के नहीं काटा जाए। उक्त क्षेत्र में उपरि उक्त परियोजना होने पर वन विभाग के होंगे।
6. प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास में वनस्थित/वनजैव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर पुनरुत्पत्ति की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी पुनरुत्पत्ति रहेगी।
7. प्रयोक्ता अधिकरण के रूप पर वन विभाग द्वारा सत्य से 10 वृक्षों के पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का वन गुण संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किम्ह जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करने हुए एक सम्भव रशि जमा की जाएगी।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पट्टे स्वामियों पर वयोधित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करी हुए सम्भव) जमा की जाएगी।
9. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित रशि जमा की जाएगी।
10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ सेवा संख्या C.A.F. Rajasthan SBO1025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लांक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करवाया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का पचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सहाय स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एक डिस्मोजल योजना एक वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एक.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जाएगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगा।
13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी विधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लांक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक की छायाप्रति सहित सख्तीय स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गई राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।
4. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह को 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मसिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।
5. राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुयति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किम्ह जा सकेगा।
5. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एकसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालन प्रकरण में सुनिश्चित की जाए तब प्रकरण में जारी स्वीकृति को पुनरुत्पत्ति द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले सम्प्रचार पत्रों में अधररा: प्रकाशित करवा एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिष्ठ लेखक बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्रति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करान सुनिश्चित करें।

ऐसा सभी बातों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालन प्राप्त होने पर ही वन (सख्ती) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जाएगी। प्रयोक्ता प्रकरण को वन भूध/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति होने से पूर्व नहीं की जाएगी।

प्रकटीय,
(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव-वन

File No.1-29/2015-CAMPA
Government of India
Ministry of Environment Forests & Climate Change
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Email: adhoc-campa-mef@nic.in

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतान राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

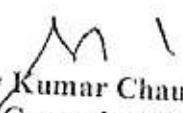
Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897743	15085611 3599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RBI1781948897730		6177590992

Encl: as above

Yours faithfully,


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004